रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275499
CG-DL-E-17082026-275499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948
No. 659] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 723(अ).— केंद्रीय सरकार पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाण पत्र का प्रपत्र, पोस्टमार्टम परीक्षण और पशु शव के निपटारे की प्रक्रिया) नियम, 2010 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे मामलों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से छूटे हुए हैं, पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित प्ररूप नियमों को,इनके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है;और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्ररूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की अवसान के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन प्ररूप नियमों पर आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के अपर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल jslh-dadf@nic.in पर भेजे जा सकते हैं;

यदि ऊपर उल्लिखित तीस दिनों की अवधि की अवसान से पहले उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं तो, केंद्र सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्ररूप नियम।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण नियम, 2026 है।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ। - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिकृत अधिकारी' से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड का वह अधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से संबद्ध है;

(ग) 'बोर्ड' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ङ.) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अनुसूचित रोग से संक्रमित पशुओं की रिपोर्ट - (1) ग्राम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में अनुसूचित रोग के प्रकोप या ऐसे किसी अनुसूचित रोग से संक्रमित किसी भी पशु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पशु चिकित्सक को यथासंभव शीघ्रता से प्ररूप-1 में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) पशु चिकित्सक, ग्राम अधिकारी से उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अपने स्वयं की जानकारी से, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में अनुसूचित रोग के प्रकोप या ऐसे किसी अनुसूचित रोग से संक्रमित पशु के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यथाशीघ्र प्ररूप-2 में भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. टीका लगाने और टीका लगाए गए पशुओं की रिपोर्ट – निदेशक, टीका लगाने और टीका लगाए गए पशुओं के संबंध में प्ररूप-3 में भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें नियंत्रित क्षेत्र का विवरण, पशु-मालिक का नाम और पता, नियंत्रण और मुक्त क्षेत्र की घोषणा, टीका लगाए गए पशुओं की मार्किंग की प्रकृति, धारा 8 की उप-धारा (3) में उल्लिखित टीकाकरण विनिर्देश, जिसमें टीका लगाए गए पशुओं का प्रमाणन शामिल होगा।

5. टीकाकरण प्रमाणपत्र - धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकार-प्राप्त पशु चिकित्सक प्ररूप-4 में कुक्कट के अलावा अन्य पशुओं को टीकाकरण के लिए और प्ररूप-5 में कुक्कट के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें टीका लगाने की प्रक्रिया, पशु-मालिक का नाम और पता, पशुओं की प्रजाति, टीकाकरण करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार और योग्यता तथा भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है।

6. अनुसूचित रोग से संक्रमित पशु के शव का निपटान (1) किसी पशु का शव, जो किसी अनुसूचित रोग के संक्रमण के कारण मरा हो या जिसके बारे में संदेह हो कि वह अनुसूचित रोग से संक्रमित था या जिसे धारा 25 में निर्दिष्ट तरीके से मार दिया गया था, उसका निपटान पशु-मालिक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा दफनाने, भस्मीकरण या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(2) जहां शव का निपटान उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से किया जाता है, पशु चिकित्सक यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जहां निपटान दफना कर किया गया है, -

(i) दफनाने के लिए किए गए गड्ढे का आकार पशु के शव के आकार से बड़ा बनाया जाए, जिससे शव के सभी हिस्सों को गड्ढे में दफनाया जा सके;

(ii) दफनाने के लिए किए गए गड्ढे के तल पर पांच सेंटीमीटर चूने की एक परत डाली जाए और मिट्टी भरने से पहले शव के ऊपर फिर से चूने की एक परत डाली जाए;

(iii) दफनाने के लिए किया गया गड्ढा जलमार्ग से कम से कम बीस मीटर और पीने के पानी के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुएं, बोर-कुएं या पानी के झरने से दो सौ पचास मीटर दूर बनाया जाए;

(iv) दफनाने के लिए किया गया गड्ढा मौसमी जल-जमाव या बाढ़ संभावित क्षेत्र में नहीं बनाया जाए;

(v) गड्ढे को ढकने के लिए कम से कम एक मीटर मिट्टी की परत डाली जाए; और

(vi) सामूहिक दफन के लिए, स्थल, मानव आवास से कम से कम दो सौ पचास मीटर दूर हो,

(ख) जहां निपटान भस्मीकरण द्वारा किया गया है, -

(i) यह तब तक किया जाए जब तक कि पशु का शव राख में न बदल जाए; और

(ii) भस्मीकरण के लिए स्थल मानव आवास से कम से कम दो सौ पचास मीटर दूर हो,

(ग) जहां निपटान रेंडरिंग द्वारा किया गया हो;

(i) यह केवल साइट पर उस एजेंसी या संस्थान द्वारा किया जाए जिसके पास रेंडरिंग संयंत्र के संचालन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति हों।

(ii) संक्रमित पशु शव के निपटान की प्रक्रिया के रूप में रेंडरिंग का उपयोग करने वाली एजेंसी या संस्थान प्रत्येक रेंडरिंग चक्र का उचित रिकॉर्ड रख रहा हो; और

(iii) रेंडरर्ड उत्पाद का उपयोग पशु आहार के घटक के रूप में नहीं किया जा रहा हो।

(3) पशु चिकित्सक दफनाने या भस्मीकरण या रेंडरिंग की निगरानी करेगा, जो हो सके तो पशु-मालिक या प्रभारी के परिसर में या निकटतम स्थान पर की जाएगी, जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) यदि अपेक्षित हो तो पशु चिकित्सक संक्रमित पशु के शव को सुरक्षित वाहन में निपटान स्थल तक ले जाने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मृत पशु के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को वाहन मालिक द्वारा ठीक से साफ और कीटाणुरहित किया गया हो।

(5) वाहन और उसकी सफाई और कीटाणुशोधन के लिए शुल्क पशु के मालिक या प्रभारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

7. पोस्ट-मार्टम करने की रीति - (1) किसी अनुसूचित रोग के संक्रमण के कारण मरने वाले या अनुसूचित रोग से संक्रमित होने का संदेह होने वाले पशु के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए, पशु चिकित्सक, -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि पोस्टमार्टम परीक्षण के उद्देश्य से परिसर, उपकरण और सुविधाएं स्वस्थ्यकर और पर्याप्त हैं;

(ख) मालिक के परिसर में या निकटतम स्थान पर, जैसा कि वह उचित समझे, किसी एकांत जगह पर पोस्टमार्टम जांच करेगा;

(ग) प्रयोगशाला जांच के लिए प्रतिनिधि ऊतक और तरल नमूने एकत्र करेगा;

(घ) पोस्टमार्टम जांच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित शव के सिर, अंगों, आंतों और अन्य भागों को ऐसी पहचान योग्य स्थिति में रखेगा ताकि निरीक्षण पूरा होने तक वे उसी शव से मेल खाएं जिससे उन्हें हटाया गया था;

(ड.) पहले शव की बाहरी रूप से जांच करेगा और उसके बाद शरीर की गुहाओं को खोलेगा;

(च) नियम 6 में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से शव और कचरे के निपटान की व्यवस्था करेगा;

(छ) जहां शव और कचरा रखा गया था और पोस्टमार्टम करने के स्थान का कीटाणुशोधन करने की व्यवस्था करेगा।

(ज) शव के किसी भी भाग या अंग या किसी भी आंत को पोस्टमार्टम जांच और निरीक्षण क्षेत्र से हटाने की अनुमति नहीं है;

(झ) पोस्टमार्टम और निरीक्षण क्षेत्र के बाद औजारों, उपकरणों और क्षेत्र की पूरी तरह से सफाई और विसंक्रमण सुनिश्चित करेगा; और

(ञ) प्रपत्र-6 में पोस्टमार्टम परीक्षा के निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित पोस्टमार्टम जांच के पूरा होने पर, पशु चिकित्सक-

(क) पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट की एक प्रति पशु के मालिक या प्रभारी को प्रदान करेगा; और

(ख) उक्त पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट उक्त प्ररूप-6 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में पोस्टमार्टम जांच और निरीक्षण से बारह घंटे के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) पशु चिकित्सक तब पोस्टमार्टम नहीं करेगा जब शव के लक्षण एंथ्रेक्स, या मृत्यु का कारण एंथ्रेक्स होने का संदेह है।

(4) जहां पशुचिकित्सक उप-नियम (3) में उल्लिखित कारण के लिए पोस्टमार्टम जांच नहीं करना उचित समझता है, वह अपने प्रेक्षण की रिपोर्ट उक्त प्ररूप-6 में भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

8. शिकायत करने की प्रक्रिया.- कोई भी व्यक्ति या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या कोई अधिकृत अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्ररूप-7 में शिकायत कर सकता है।

9. जांच करने का तरीका - (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, नियम 8 के अधीन प्राप्त किसी भी शिकायत पर निर्णय लेने से पहले, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऐसी शिकायत की गई है, प्रपत्र 8 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस की तामील होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने को कहा जाएगा कि उसके विरूद्ध जांच क्यों नहीं की जाए।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी को शिकायत के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकारी होगा, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी और सुसंगत हो।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस में,

(क) कथित रूप से किए गए उल्लंघन तथा अधिनियम की कथित उल्लंघन की गई धारा का उल्लेख होगा; और

(ख) शिकायत की एक प्रति संलग्न होगी।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट उत्तर देने की अवधि को पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी को संतोषजनक उत्तर दें कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर नोटिस का पालन न करने का पर्याप्त कारण था।

(5) इन नियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जाएगा;

(i) इसे उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर; या

(ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा उस व्यक्ति के निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर जहां वह कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था; या

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम बार रहा था या कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था।

(6) उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध ऐसी शिकायत की गई है, नोटिस में निर्धारित तारीख पर सुनवाई का नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से तथा शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

(7) यदि उप-नियम (1) के अधीन जिस व्यक्ति के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है, वह ऐसे नोटिस के अनुसरण में निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर देने में विफल रहता है, इनकार करता है या लपारवाही बरतता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी इस प्रकार जांच पूरी होने के कारणों को उस रीति से अभिलिखित करते हुए, जैसा भी वह उचित समझे, उस व्यक्ति के अनुपस्थिति में सुनवाई कर सकता है।

(8) यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, वह उप-नियम (6) के अधीन प्राप्त उत्तर में उल्लंघन स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी इस स्वीकारोक्ति को अभिलिखित करेगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आदेश द्वारा शास्ति लगाएगा।

(9) यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है वह उल्लंघन स्वीकार नहीं करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर, संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को, किए गए उल्लंघन और उससे संबंधित अधिनियम के उपबंधों के बारे में स्पष्ट करेगा।

(10) सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर, ऐसे व्यक्ति, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे अन्य मुद्दों पर लिखित प्रस्तुति फाइल करने या अपने-अपने दावों के समर्थन में लिखित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा।

(11) उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्ति, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपने लिखित उत्तर के अतिरिक्त गवाहों या दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत कर सकता है, जिनकी जांच हो न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा करवाना चाहते हैं।

(12) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित प्रस्तुतियों, गवाहों या दस्तावेजों, जैसा मामला हो की जांच करने और उचित समझे जाने वाले तरीके से पुछताछ करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए एक आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिनिर्णित करेगा, जिसमें शास्ति जमा करने की समय सीमा निर्दिष्ट की हो:

बशर्ते कि ऐसी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

(13) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित प्रस्तुतियों, गवाहों या दस्तावेजों, जैसा भी मामला हो, की जांच करने और उचित समझे जाने वाले तरीके से पुछताछ करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा आरोप हटा देगा और शिकायत खारिज कर देगा।

(14) यदि उप-नियम (12) के अधीन शास्ति अधिरोपित किए गए व्यक्ति वह धारा 33ग के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड उक्त शास्ति की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(15) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति, जिस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर होंगे, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

10. निर्णय की समय-सीमा - न्यायनिर्णयन अधिकारी यथाशीघ्र कार्यवाही पूरी करेगा और किसी भी मामले में शिकायत प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

11. अपील का प्ररूप और रीति - (1) नियम 9 के उप-नियम (12) या उप-नियम (13) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील प्ररूप प्ररूप-9 में फाइल की जा सकती है।

(2) अपील के साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की एक प्रति, अपील किए गए तथ्यों का विवरण और अपील के आधार संलग्न होने चाहिए।

(3) अपीलकर्ता स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपील फाइल कर सकता है।

(4) अपील को उस दिन फाइल मानी जाएगी जिस दिन वह अपीलीय प्राधिकारी को प्राप्त होती है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णयन अधिकारी से शिकायत और जांच से संबंधित अभिलेख मंगवाएगा।

(6) यदि जांच करने पर अपील में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को त्रुटि की सूचना देगा और उसे पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर त्रुटि सुधारने का अवसर देगा और यदि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर त्रुटि सुधारने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप से कारण बताते हुए आदेश द्वारा त्रुटिपूर्ण अपील को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है और त्रुटि सुधारने के लिए निर्धाथ्रत समय से सात दिनों के भीतर अपीलकर्ता को इस अस्वीकृति की सूचना देगा।

(7) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे अपीलीय प्राधिकारी उसे स्वीकार करेगा।

(8) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी प्ररूप-10 में प्रत्यर्थी को अपील की एक प्रति सहित नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे उस अवधि में जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, जैसा कि वह उक्त नोटिस में निर्दिष्ट करें, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(9) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन यह नोटिस जारी किया जाएगा, -

(i) इसे प्रत्यर्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर;या

(ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा प्रत्यर्थी के निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर जहां वह कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था; या

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर, जहां प्रत्यर्थी रहता है या अंतिम बार रहा था या कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था।

(10) अपीलीय प्राधिकारी सभी पक्षों कोव्यक्तिगत रूप से या उनके अधिकृत विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से,सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या माध्यमों से भी आयोजित की जा सकती है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी,न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या निरस्त करेगा, जैसा भी मामला हो और तदनुसार आदेश देगा।

(12) अपीलीय प्राधिकारी यथाशीघ्र कार्यवाही पूरी करेगा और अपील प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही के निपटान करने का प्रयास किया जाएगा।

(13) यदि अपीलीय प्राधिकारी शास्ति लगाने के संबंध में न्यायनिर्णायन अधिकारी के आदेश की पुष्टि करता है, और शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 33ग के अधीन निर्दिष्ट अवधी के भीतर इसका भुगतान नहीं करता है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड उक्त शास्ति की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(14) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति, जिस पर अपीलीय प्राधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर हों, अपीलकर्ता या अधिकृत अधिकारी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

12. शास्ति की रकम का उपयोग - (1) धारा 33 घ के उपबंधों के अनुसार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के कोष में जमा की गई शास्ति की रकम का उपयोग राज्य बोर्डों के माध्यम से निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, -

(क) पशुस्वास्थ्य प्रबंधन, अच्छी पशुपालन प्रथाओं संबंधी प्रशिक्षण और अनुसूचित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए; और

(ख)अनुसूचित रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, जैसा आवश्यक हो, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर चेक पोस्ट और क्वारंटाइन कैंपों को मजबूत या स्थापित करने के लिए ।

(2) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड शास्ति के माध्यम से प्राप्त रकम के लिए अलग खाता रखेगा।

(3) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और राज्य बोर्ड उप-नियम (1) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए शास्ति की रकम का उपयोग करते हुए उक्त शास्ति की रकम के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्ररूप-I

(नियम 3 देखें)

अनुसूचित रोग के प्रकोप या उससे संक्रमित पशु के बारे में ग्राम अधिकारी द्वारा रिपोर्ट।

1. संदिग्ध रोग स्थान:

(क) मालिक का नाम और संपर्क नंबर:

(ख) गाँव या वार्ड या फार्म:

(ग) ब्लॉक:

(घ) जिला:

(ङ) राज्य:

2. संदिग्ध रोग का विवरण:

क. जानकारी मिलने की तिथि और समय:

ख. प्रकोप की तारीख और समय:

ग. प्रभावित पशु प्रजातियां:

(गोपशु या भैंस या भेड़ या बकरी या अन्य)

घ. लक्षणों का विवरण:

ङ. प्रभावित पशुओं की संख्या:

च. मृत पशुओं की संख्या:

छ. कोई अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर

ग्राम अधिकारी का नाम और पता:

संपर्क नंबर:

दिनांक

प्ररूप-2

(नियम 3 देखें)

भाग -I

अनुसूचित रोग के प्रकोप या संक्रमित पशु के बारे में नमूने की रिपोर्ट।

1. संदिग्ध रोग स्थान:

(क) मालिक का नाम और संपर्क नंबर:

(ख) गाँव या वार्ड या फार्म:

(ग) जिला:

(घ) ब्लॉक:

(ङ) राज्य:

2. संदिग्ध रोग का विवरण और प्रभावित पशुओं की जानकारी:

(क) सूचना की तारीख और समय:

(ख) संदिग्ध रोग:

(ग) प्रकोप की तारीख (पहली या पुनरावृत्ति):

(घ) कुल प्रभावित पशु:

क्रम संख्या	श्रेणी	पशुओं की संख्या	टैग नंबर	पशुओं की प्रजाति
1.	प्रभावित पशु		i) ii) iii)	
2.	इलाज किए गए पशु		i) ii) iii)	
3.	टीका लगाए गए पशु		i) ii) iii)	
4.	मरने वाले पशु		i) ii) iii)	
5.	छंटनी किए गएपशु		i) ii) iii)	
6.	ठीक हुए पशु		i) ii) iii)	

7.	बध किएपशु		i) ii) iii)	

3. नियंत्रण और अन्य उपाय शुरू किए गए:

क. किए जा चुके या जारी टीकाकरण की स्थिति

(बेरियर या ब्लैंकेट या रिंग या लक्षित):

ख. टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या (प्रजाति-वार):

क्रम संख्या	पशुओंकीप्रजाति	टैग / पहचान नंबर	टीकाप्रमाणपत्रकायूनिकनंबर	टीकाकरणकी तारीख

ग. स्थापित चेक पोस्टों की संख्या और विवरण:

क्रम संख्या	जिस तारीख से सक्रिय	चेकपोस्टकापता	प्रभारी अधिकारी	संपर्क नंबर/ ईमेल आईडी	अक्षांश और देशांतर

घ. क्या रोगी पशु अलग किया गया: हां/नहीं

ङ. किए गए कीटाणुशोधन और निपटान उपायों का विवरण:

च. मानव स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय

(संदिग्ध जूनोसिस के मामलों में): हां/नहीं

छ. वन्यजीव अधिकारियों के साथ समन्वय हां/नहीं

(संदिग्ध वन्यजीव संलिप्तता के मामले में):

4. नमूनाकरण:

क. क्या नमूनाकरण की आवश्यकता है: हां/नहीं

ख. क्या नमूना एकत्र किया गया है: हां/नहीं

ग. नमूना संग्रह का विवरण:

क्रम संख्या	पशु की प्रजाति	पशु का टैग नंबर	नमूना पहचान संख्या	एकत्रित नमूने का प्रकार (रक्त या सीरम या मूत्र या	नमूना एकत्र करने वाले पशुचिकित्सक का नाम	भेजने की तारीख	परीक्षण प्रयोगशाला का नाम और पता

				अन्य)			

5. किए गए अन्य कार्यकलाप या उपाय:

(i)हितधारकों की जागरूकता और प्रशिक्षण:

(ii)पशु स्वामी या किसानों की जागरूकता:

(iii)कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी या उपाय:

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम,पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

भाग-2

अनुसूचित रोग के प्रकोप या संक्रमित पशु की रिपोर्ट।

1. अनुसूचित रोग की स्थिति:

क. नमूना लेते समय हुए रोग का संदेह:

ख. प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किया गया रोग:

ग. प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की तारीख:

घ. परीक्षण प्रयोगशाला का नाम और पता:

ङ. रिपोर्ट संख्या और तारीख:

2. पुष्टि के बाद संक्रमित और नियंत्रित क्षेत्र में किए गए नियंत्रण उपाय:

(क) टीकाकरण की स्थिति:

क्र.सं.	बैरियर	ब्लैंकेट	रिंग	लक्षित

(ख) टीकाकृत पशुओं की संख्या (प्रजाति-वार):

(ग) चेक पोस्ट का विवरण:

क्र.सं.	चेक पोस्ट का पता	प्रभारी अधिकारी	संपर्क नंबर	अक्षांश और देशांतर

(घ) तारीख जिस से सक्रिय:

(ड़) प्रभारी अधिकारी का नाम,पता और संपर्क नंबर:

3. क्या संदिग्ध और रोग ग्रस्त पशुओं को अलग किया गया: हां या नहीं

4. किए गए कीटाणुशोधन और निपटान उपायों का विवरण: हां या नहीं

(क) मानव स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय

(संदिग्ध जूनोसिस के मामलों में): हां या नहीं

(ख) वन्यजीव प्राधिकरणों के साथ समन्वय

(संदिग्ध वन्यजीव की संलिप्तता के मामले में): हां या नहीं

5. अधिसूचना के संबंध में जानकारी:

(क) संक्रमित,नियंत्रित और मुक्त क्षेत्र की घोषणा के संबंध में अधिसूचना की तारीख: (आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां संलग्न हैं)

(ख) राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सूचना की तारीख:

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम,पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

प्ररूप-3

(नियम 4 देखें)

पशु टीकाकरण रिपोर्ट

1. पशु की पहचान:

क. टैग संख्या:

ख. प्रजाति:

ग. आयु:

घ. लिंग:

ङ. पशु स्वामी का नाम:

च. आधार संख्या:

छ. संपर्क संख्या:

ज. पशु की तस्वीर:

2. टीकाकरण का विवरण:

क. टीके का नाम:

ख. टीके का प्रकार (जीवित,असक्रिय,एडज्यूवेंट):

ग. वैधता समाप्ति की तिथि:

घ. बैच नंबर:

ङ. निर्माता का नाम:

च. टीकाकरण की तिथि:

छ. प्रतिकूल प्रभाव,यदि कोई हो तो

ज. टीका लगाने वाले का नाम,पता और संपर्क नंबर:

हस्ताक्षर

निदेशक का नाम,पता और संपर्क नंबर:

कार्यालय की मुहर:

दिनांक:

प्ररूप-4

(नियम 5 देखें)

कुक्कट के अलावा अन्य पशुओं का टीकाकरण प्रमाणपत्र)

1. विशिष्ट टीकाकरण प्रमाणपत्र संख्या:

वैधता: दिनांक से तक

2. पशु का विवरण

क. प्रजाति:

ख. लिंग: नर या मादा

ग. पहचान विवरण:

(ईयर-टैग नंबर या टैटू या अन्य प्रकार की मार्किंग)

(घ) स्वामी का नाम,पता और संपर्क नंबर:

3. टीकाकरण का विवरण:

क. टीके का नाम:

ख. टीके का प्रकार (लाइव,असक्रिय,एडज्यूवेंट प्रकार का):

ग. वैधता समाप्ति की तारीख:

घ. बैच नंबर:

ङ. टीकाकरण की तिथि:

च. निर्माता का नाम:

छ. टीका लगाने वाले का नाम,पता और संपर्क नंबर:

ज. प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान:

(i)प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित पशु को दिनांक ..... (टीकाकरण की तिथि) को ..... (रोग का नाम) हेतु ऊपर उल्लेख किए गए टीके का उपयोग करके टीका लगाया गया है।

लगाए गए टीके दोषपूर्ण नहीं हैं और मुझे टीके लगवाने और उसके लिए प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकारी है।

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम,पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

प्ररूप-5

(नियम 5 देखें)

कुक्कट के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र

1. विशिष्ट टीकाकरण प्रमाणपत्र संख्या:

वैधता: दिनांक से तक

2. कुक्कट का विवरण:

(क) कुक्कट प्रजातियां: (चिकन, डक, क्वैल, अन्य)

(ख) कुक्कट प्रकार या आयु: (एक दिन के चूज़े,लेयर्स,ब्रॉयलर,प्रजनक)

(ग) टीकाकृत पक्षियों की संख्या: (प्रतिरक्षितों की संख्या)

(घ) टीकाकरण का चिह्नांकन या पहचान: (पेंटिंग,विंग टैग,बैंड)

(ङ) पशु स्वामी का नाम,पता और संपर्क नंबर:

(च) वाणिज्यिक कुक्कट स्थापना: हां या नहीं

(छ) घरेलू कुक्कट: हां या नहीं

3. टीकाकरण का विवरण:

(क) टीके का नाम:

(ख) टीके का प्रकार: (लाइव,असक्रिय,एडज्यूवेंट):

(ग) वैधता समाप्ति की तिथि:

(घ) बैच संख्या और उत्पादन की तारीख:

(ड.) निर्माता का नाम:

(च) टीकाकरण की तिथि:

(छ) प्रतिकूल प्रभाव,यदि कोई हो:

(ज) टीका लगाने वाले का नाम,पता और संपर्क नंबर:

(झ) प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान:

(ञ) प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि:

टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विवरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित पशु को दिनांक ..... (टीकाकरण की तिथि) को ..... (रोग का नाम) हेतु ऊपर उल्लेख किए गए टीके का उपयोग करके टीका लगाया गया है।लगाए गए टीके दोषपूर्ण नहीं हैं और मुझे टीका लगाने और उसके लिए प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार है।

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम,पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

प्ररूप 6

(नियम 7 देखें)

भाग- I

कुक्कट के अलावा अन्य पशुओं के लिए पोस्ट-मॉर्टम जांच रिपोर्ट

1. पोस्टमार्टम का विवरण:

(क) रिपोर्ट संख्या:

(ख) पोस्टमार्टम करने का स्थान:

(ग) पोस्टमार्टम की तारीख:

(घ) पोस्टमार्टम का समय:

2. किसके द्वारा भेजा गया:

3. भेजने की तारीख:

4. पशु का विवरण:

(क) प्रजाति:

(ख) नस्ल:

(ग) लिंग:

(घ) आयु :

(ङ) पहचान संख्या या चिह्न:

(च) रंग:

(छ) रोग और उपचार का इतिहास:

(ज) मृत्यु की तारीख:

(झ) मृत्यु का समय:

(ञ) कोई अन्य जानकारी:

5. पशु के मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर:

6. बाहरी परीक्षा:

(क) रिगर मोर्टिस:

(ख) बाहरी छिद्र:

(ग) कंकाल की स्थिति:

(घ) उदर:

(ङ) बाल कोट:

(च) दृश्य श्लेष्म झिल्ली:

(छ) घाव या ट्यूमर (स्थान और आयाम):

(ज) हड्डियाँ और जोड़:

(झ) कोई अन्य अवलोकन:

7. आंतरिक जांच

वक्ष गुहा:

(क) पसलियां:

(ख) उपास्थि:

(ग) फुफ्फुस:

(घ) डायाफ्राम:

(ङ) ग्रसनी:

(च) श्वासनली:

(छ) ब्रोंची:

(ज) फेफड़े:

(झ) लिम्फ नोड्स:

(ञ) पेरिकार्डियम:

(ट) एंडोकार्डियम:

(ठ) मायोकार्डियम:

(ड) महाधमनी:

(ढ) ऑरिकल्स:

(ण) वेंट्रिकल:

(त) ग्रासनली:

(थ) अन्य अवलोकन:

8. उदर गुहा:

(क) उदरच्छद:

(ख) तरल (रंग, मात्रा और स्थिरता):

(ग) लिम्फ नोड्स:

(घ) रमेन या पेट:

(ङ) रेटिकुलम:

(च) ओमासुम:

(छ) अबोमासुम:

(ज) छोटी आंत:

(झ) बड़ी आंत:

(ञ) मेसेंटीरी:

(ट) पोर्टल नसें:

(ठ) लिवर:

(ड) पित्ताशय:

(ढ) अग्न्याशय:

(ण) गुर्दे और अधिवृक्क:

(त) यूरेटर:

(थ) मूत्र थैलिका:

(द) प्लीहा:

(ध) अन्य अवलोकन:

9. श्रोणि गुहा:

(क) अंडकोष:

(ख) एपिडिडिमिस:

(ग) शुक्राणु रज्जु:

(घ) अण्डकोष:

(ङ) प्रोस्टेट:

(च) लिंग:

(छ) योनि:

(ज) ग्रीवा:

(झ) योनि:

(ञ) गर्भाशय:

(ट) अंडाशय:

(ठ) अन्य अवलोकन:

10. सिर और गर्दन:

(क) स्कैल्प:

(ख) खोपड़ी की हड्डियाँ:

(ग) मेनिन्जेस:

(घ) मस्तिष्क:

(ङ) रीढ़ की हड्डी:

(च) ग्रीवा कशेरुका:

(छ) थायरॉइड या पैराथायरॉइड:

(ज) अन्य अवलोकन:

11. नमूना संग्रह विवरण:

(क) नमूना प्रकार:

(ख) प्रिरक्षक का उपयोग किया गया:

(ग) परीक्षणों की आवश्यकता:

(घ) प्रयोगशाला का पता जहां नमूना प्रस्तुत किया गया:

12. विशेष प्रेक्षण या असामान्यता:

13. मृत्यु के संभावित कारण के बारे में राय:

14. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने का विवरण:

15. रिपोर्ट जारी करने का स्थान:

16. रिपोर्ट जारी करने की तिथि:

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम, पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

भाग-II

कुक्कट के लिए पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट।

1. पोस्टमार्टम का विवरण:

(क) रिपोर्ट संख्या:

(ख) शव परीक्षण करने का स्थान:

(ग) मृत्यु की तारीख:

(घ) मृत्यु का समय:

(ङ) पोस्टमार्टम की तारीख:

(च) पोस्टमार्टम का समय:

2. द्वारा संदर्भित:

3. संदर्भ की तारीख:

4. कुक्कट का विवरण:

(क) प्रजाति:

(ख) नस्ल:

(ग) सेक्स:

(घ) आयु:

(ङ) पहचान चिह्न या संख्या:

(च) झुंड की संख्या:

(छ) संख्या की मृत्यु:

(ज) जिन मृत पक्षियों पर पोस्टमार्टम किया गया उनकी संख्या:

(झ) रोग और उपचार का इतिहास:

5. मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर:

6. पोषण संबंधी विवरण:

7. शव परीक्षण का विवरण:

(क) बाहरी दिखावट:

(ख) त्वचा के नीचे का ऊतक और मांसपेशियां:

(ग) शव खोलने के बाद सामान्य अवलोकन:

(घ) श्वसन तंत्र:

(ङ) हृदय-वाहिका तंत्र:

(च) पाचन तंत्र:

(छ) मूत्र प्रणाली:

(ज) जननांग प्रणाली:

(झ) प्रतिरक्षा प्रणाली:

(ञ) तंत्रिका तंत्र:

(ट) कोई अन्य अवलोकन:

8. मृत्यु के संभावित कारण के बारे में राय:

9. नमूना संग्रह विवरण:

(क) नमूना प्रकार:

(ख) परीक्षणों की आवश्यकता:

(ग) प्रयोगशाला का पता जहां नमूना प्रस्तुत किया गया:

10. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने का विवरण:

11. पोस्टमार्टम रिपोर्ट संदर्भ संख्या:

12. रिपोर्ट जारी करने का स्थान:

13. रिपोर्ट जारी करने की तिथि:

हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम, पता और संपर्क नंबर:

पदनाम और मुहर:

दिनांक:

प्ररूप -7

(नियम 8 देखें)

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत

सेवा में,

न्यायनिर्णयन अधिकारी,

(उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट)

…….

1. शिकायतकर्ता का विवरण:

(क) नाम:

(ख) पिता या माता का नाम:

(ग) पिन कोड नंबर सहित पता:

(घ) संपर्क संख्या:

(ङ) ईमेल पता:

2. अभिकथित उल्लंघनकर्ता का विवरण:

(क) नाम:

(ख) पिता या माता का नाम:

(ग) पिन कोड नंबर सहित पता:

(घ) अभिकथित उल्लंघन की तारीख, समय, स्थान और प्रकृति:

(ङ) अधिनियम की धारा या उपबंध जिसका अभिकथित उल्लंघन हुआ है:

(च) उल्लंघन का विवरण जिसमें तात्विक विशिष्टियां दी गई हों:

(छ) कथन के समर्थन में साक्ष्य सहित वास्तविक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख:

मैं _____ (शिकायतकर्ता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार ऊपर बताए गए तथ्य सही हैं और कुछ भी वास्तविक रूप से छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

(शिकायतकर्ता का नाम)

प्ररूप -8

[नियम 9 का उपनियम (1) देखें]

न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस

विषय: पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस

महोदय/महोदया,

शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायत के अनुसार, _____ (प्रति संलग्न), पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन उक्त के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।

3. इसलिए, आपको इस नोटिस की सेवा के ------ दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने की आवश्यकता है कि आपके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4. यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के उपबंध के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णयन अधिकारी

(नाम और पद की मुहर)

प्ररूप –9

(नियम 11 का उपनियम (1) देखें)

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत अपील।

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकरण,

(जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट)……

……

1. अपीलकर्ता का विवरण:

(क) नाम:

(ख) पिता या माता का नाम:

(ग) पिन कोड नंबर सहित पता:

(घ) संपर्क संख्या:

(ङ) ईमेल पता:

2. अधिनियम के उपबंध जिनके संबंध में आदेश दिया गया है

न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा:

3. जिस पर उल्लंघन का विवरण

न्यायनिर्णयन अधिकारी ने आदेश दिया:

4. अपील के आधार:

5. उत्तरदाता का विवरण:

(क) नाम:

(ख) पिता या माता का नाम:

(ग) पिन कोड नंबर सहित पता:

(घ) संपर्क संख्या:

(ङ) ईमेल पता:

6. प्रतिवादी का बयान:

7. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:

8. राहत का दावा किया

9. क्या अपील समय के भीतर दायर की गई है

अधिनियम की धारा 27ख में संदर्भित- हाँ या नहीं

मैं, अपीलकर्ता एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार ऊपर बताए गए तथ्य सही हैं और कुछ भी वास्तविक रूप से छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अनुबंधों की सूची:

(i) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति।

(ii) अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां और अपील में संदर्भित।

तारीख के साथ अपीलकर्ता के हस्ताक्षर:

अपीलकर्ता का नाम:

प्ररूप-10

[*नियम 11 का उपनियम (8) देखें*]

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत की गई अपील के संबंध में नोटिस ।

विषय: पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील को लेकर नोटिस।

महोदय/महोदया,

1. जबकि पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा_____ के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक _____ के आदेश (प्रति संलग्न) के विरुद्ध श्री/श्रीमती/सुश्री_____ द्वारा दिनांक_____ को एक अपील (प्रति संलग्न) प्रस्तुत की गई है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार के लिए आपके खिलाफ उक्त अपील को स्वीकार किया गया है।

3. आपको यह नोटिस दिए जाने की तारीख से …… दिनों के भीतर अपने जवाब या आपत्तियों का बयान, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो, जमा करना होगा, अन्यथा अपील पर विचार किया जाएगा और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

अपीलीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम और कार्यालय की मुहर)

[फा. सं. के-11/05/3/49/2025-एल. एच.]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2026

G.S.R. 723(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 42 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009), is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; after supersession of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Form of Vaccination Certificate, Manner of Post Mortem Examination and Disposal of Carcass) Rules, 2010; except as respects things done or omitted to be done before such supersession; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into

consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary to Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001 or on email jslh-dadf@nic.in;

Objections and suggestions, if any, received from any person in respect of said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules.

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009);

(b) 'authorised officer' means an officer of the Central Government, the State Government, the Union territory administration, the local authority or the Animal Welfare Board of India associated with the implementation of the provisions of the Act;

(c) 'Board' means the Animal Welfare Board of India constituted under sub-section (1) of section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(d) 'Form' means the Form annexed to these rules; and

(e) 'section' means section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Report of animals infective of scheduled disease. – (1) The Village Officer on receipt of an information about outbreak of a scheduled disease or of any animal infective of such scheduled disease in the area falling within his jurisdiction shall report the factas expeditiously as possible to the Veterinarian in Form-1.

(2)The Veterinarian, on receipt of a report under sub-rule (1) from the Village Officer orat his own knowledge, shall submit a reportabout outbreak of a scheduled disease or of any animal infective of such scheduled disease in the area falling within his jurisdiction to the State Government and Central Government as expeditiously as possiblethrough Bharat Pashudhan portal in Form-2.

4. Report of administration of vaccination and vaccinated animals. – The Director shall submit,areport regarding administration of vaccination and vaccinated animal in Form-3, along with particulars of controlled area, name and address of owner of animals, declaration of control and free area, the nature of marking of vaccinated animals, specification of vaccination referred to in sub-section (3) of section 8 including certification of vaccinated animals through Bharat Pashudhan portal.

5. Vaccination certificate. – The Veterinarian empowered under sub-section (1) of section 8 shall issue a certificate for administration of vaccination to animals, other than poultry inForm-4 and for poultry in Form-5, indicating therein the process of administration of vaccination, name and address of the owner, species of animals, the authority and competency of the person to vaccinate and issue certificate through Bharat Pashudhan portal.

6. Disposal of carcass of animal infected with scheduled disease. — (1) The carcass of an animal, which died due to infection of a scheduled disease or which was suspected to have been infected of the scheduled disease or which was euthanized in the manner referred to in section 25, shall be disposed of by the owner or theperson in-charge of the animal by burial, incineration or rendering in the manner referred to in sub-rule (2).

(2) Where the disposal of carcass is done in any manner referred to in sub-rule (1), the Veterinarian shall ensure that,-

(a) where the disposal is by burial, -

(i) the size of the pit for the burial is made bigger than the size of the carcass of animal that allows all parts of carcass to be buried in the pit;

(ii) a layer of five-centimeter lime is put at the bottom of the burial pit and again over the carcass before filling the soil;

(iii) the pit for burial is made at least twenty meters away from watercourse and two hundred and fifty meters away from well, bore-well or water spring used as a source of drinking water;

(iv) the pit for burial is not made in a seasonal water-logged or flood prone area;

(v) a layer of at least one meter of covering soil is used to cap the pit; and

(vi) for mass burial, the site is at least two hundred fifty meters away from human habitat,

(b) where the disposal is by incineration, -

(i) it is performed till the animal carcass is reduced to ashes; and

(ii) the site for incineration is at least two hundred fifty meters away from human habitat,

(c) where the disposal is by rendering,-

(i) it is performed only on-site by the agency or institute having trained manpower for operating the rendering plant;

(ii) the agency or the institute using rendering as a method for infected animal carcass disposal is maintaining proper record of each rendering cycle; and

(iii) the rendered product is not used as ingredient of animal feed.

(3) The Veterinarian shall supervise the burial or incineration or rendering, which shall be performed preferably at the premises of the owner or incharge of the animal or the nearest location, as considered appropriate by him.

(4) The Veterinarian, if required, shall arrange transportation of the carcass of the infected animal in a secured vehicle to the site of the disposal and ensure that the vehicle used for transportation of the dead animal is properly cleaned and disinfected by the vehicle owner.

(5) The charges for vehicle and its cleaning and disinfection shall be paid by the owner or incharge of the animal.

7. Manner of conducting post-mortem examination. - (1) For conducting the post- mortem examination of the carcass of an animal which died due to infection of a scheduled disease or which was suspected to have been infected of the scheduled disease, the Veterinarian shall, -

(a) ensure that the condition of the premises, equipment and facilities are hygienic and adequate for the purpose of post-mortem examination;

(b) conduct the post-mortem examination at a secluded place either at the owner's premises or the nearest location, as considered appropriate by him;

(c) collect representative tissues and fluid samples for laboratory testing;

(d) keep the head, organs, viscera and other parts of the carcass required for post-mortem examination and inspection in such identifiable position that the same match with the carcass from which they were removed until completion of the inspection;

(e) examine the carcass first externally followed by opening the body cavities;

(f) arrange disposal of carcass and waste in either of the manners referred to in rule 6;

(g) arrange disinfection of premises where the carcass and waste was kept and the place of conducting post-mortem examination;

(h) not allow removal of any part or organ or any viscera of the carcass from the post-mortem examination and inspection area;

(i) ensure thorough cleaning and decontamination of instruments, equipments and thearea post-mortem examination and inspection area; and

(j) record findings of post-mortem examination in Form-6.

(2) On completion of the post-mortem examination referred to in sub-rule (1), the Veterinarian shall,-

(a) provide a copy of the post-mortem examination report to the owner or in- charge of the animal; and

(b) submit a report of the said post-mortem examination in the said Form-6 to the Central Government and the State Government throughBharat Pashudhan portal, as expeditiously as possible and in any case within twelve hours from the post-mortem examination and inspection.

(3) The Veterinarian shall not conduct post-mortem examination when from the symptom of the carcass it appears, or the cause of death is suspected, to be anthrax.

(4) Where the Veterinarian deems it appropriate not to conduct the post-mortem examination for the reason referred to in sub-rule (3), he shall submit a report of his observations to the Central Government and the State Government through Bharat Pashudhan portalin the aforesaid Form-6.

8. Procedure for making complaint.- Any person or his authorised representative or any authorised officer may make a complaint for contravention of the provisions of the Act to the adjudicating officer in writing or through electronic means in Form-7.

9. Manner of holding inquiry. -(1) The adjudicating officer, before adjudicating upon any complaint received under rule 8, shall issue a notice in Form-8, within a period of fifteen days from the date of receipt of the complaint, to the person against whom such complaint has been made, requiring him to show cause, within a maximum period of thirty days from the date of service of the same, as to why an inquiry should not be conducted against him.

(2) The adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the complaint to give evidence or to produce any document or report which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for,or relevant to, thesubject-matter of the inquiry.

(3) A notice issued under sub-rule (1) shall,-

(a) state the contravention alleged to be committed and the provision of the Act and the rules made there under alleged to be contravened; and

(b) be accompanied by a copy of the complaint.

(4) The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of reply specified under sub-rule (1) by a further period of not exceeding fifteen days, if the person to whom a notice is issued satisfies the adjudicating officer that he had sufficient cause for not complying with the notice within such period.

(5) A notice issued under these rules shall be served, in any of the following manner,-

(i) by delivering or tendering it to the person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carries on business or last carried on business; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or last resided or carries on business or last carried on business.

(6) On receipt of the reply to the notice issued under sub-rule (1), the adjudicating officer shall issue a notice of hearing on such date as may be fixed in the notice, to the person against whom such complaint has been made, requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him and the complainant or the authorised officer, as the case may be.

(7) Where the person against whom the notice has been issued under sub-rule (1), fails or refuses or neglects to reply within the specified period of time of such notice, the adjudicating officer may proceed with the hearing in the absence of such person after recording the reasons in such manner as he may deem fit.

(8) Where the person against whom a complaint has been made admits the contravention in the reply received under sub- rule (6), the adjudicating officer shall record the admission and by an order impose penalty in accordance with the provisions of the Act.

(9) Where the person against whom a complaint has been made does not admit the contravention, the adjudicating officer shall, on the date fixed for hearing, explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention made and the provisions of the Act or the rules made there under relating thereto.

(10) On the date fixed for hearing, after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, the complainant or the authorised officer, as the case may be, the adjudicating officer may grant an opportunity to file written submission on such further issues, as may arise or to submit a written brief in support of their respective claims.

(11) The person alleged to have committed the contravention, the complainant or the authorised officer, as the case may be, may submit a list of witnesses or documents in addition to their written reply, which they want to be examined by the adjudicating officer.

(12) Where the adjudicating officer, after examining the written submissions, witnesses or documents, as the case may be, and making inquiry in such manner as he may deem fit, is satisfied that such person has contravened the provisions of the Act, he shall, by an order for reasons to be recorded in writing impose penalty in accordance with the provisions of the Act, specifying therein the time limit for depositing the penalty:

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concern a reasonable opportunity of being heard.

(13) Where the adjudicating officer, after examining the written submissions, witnesses or documents, as the case may be, and on making inquiry in such manner as he may deem fit, is satisfied that such person has not contravened any provision of the Act,he shall drop the charges and dismiss the complaint by an order in writing.

(14) Where the person on whom penalty has been imposed under sub-rule (12) fails to pay the same within the period specified under section 33C, the Animal Welfare Board of India shall take necessary action for recovery of said penalty.

(15) A copy of the order made under this rule duly signed by the adjudicating officer shall be supplied free of cost to the person against whom the complaint was made, the complainant or the authorised officer, as the case may be.

10. Adjudication time-limit. - The adjudicating officer shall conclude the adjudication proceedings as expeditiously as possible and endeavor shall be made to dispose of the proceedings within a period of six months from the date of receipt of the complaint.

11. Form and manner of appeal. - (1) An appeal against the order of the adjudicating officer made under sub-rule (12) or sub-rule (13) of rule 9 may be filed in Form-9.

(2) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of adjudicating officer, statement of facts appealed against and grounds for appeal.

(3) The appeal may be filed by the appellant in person or by his authorised representative in writing or through electronic means.

(4) The appeal shall be deemed to have been filed on the day it is received by the appellate authority.

(5) The appellate authority shall call for the records relating to complaint and inquiry from the adjudicating officer.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defect and allow him to rectify the defect within a period of fifteen days and if the appellant fails to rectify such defect within the specified time limit, the appellate authority may by an order and for reasons to be recorded in writing, refuse to register defective appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from the last day of time specified for rectification.

(7) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted by the appellate authority.

(8) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a notice in Form-10 along with a copy of appeal to the respondent requiring him to submit his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be specified by him in the said notice.

(9) The notice shall be served under this rule by the appellate authority, -

(i) by delivering or tendering it to the respondent or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the respondent through electronic means or by speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carries on business or last carried on business; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which respondent resides or last resided or carries on business or last carried on business.

(10) The appellate authority shall provide a reasonable opportunity of hearing to all parties, either in person or through their authorised legal representatives and such hearing may be conducted through electronic means**or otherwise.**

(11) The appellate authority, shall confirm, vary or set aside the order of the adjudicating officer, as the case may be, and make an order accordingly.

(12) The appellate authority shall conclude the appeal proceedings as expeditiously as possible and endeavor shall be made to dispose of the proceedings within a period of six months from the date of receipt of the appeal.

(13) Where the appellate authority confirms the order of adjudicating officer regarding imposition of penalty and the person liable to pay the same, does not pay it within the period specified under section 33C, the adjudicating officer and the Animal Welfare Board of India shall take necessary action for the recovery of said penalty.

(14) A copy of the order made under this rule duly signed by the appellate authority shall be supplied free of cost to the person against whom the appeal was made, the appellant or the authorised officer, as the case may be

12. Utilisation of penalty amount. - (1) The penalty amount credited to the Fund of the Animal Welfare Board of India in accordance with the provisions of section 33D shall be utilised through State Boards for, -

(a) animal health management, training on good animal husbandry practices and prevention and control of scheduled diseases; and

(b) strengthen or establish check posts and quarantine camps within a State or Union territory, as may be required to prevent and control spread of scheduled diseases.

(2) The Animal Welfare Board of India shall maintain a separate account of the amount realised through penalties.

(3) The Animal Welfare Board of India and the State Boardutilising the penalty amount for the purposes referred to in sub-rule (1) shall submit a report regarding utilisation of said penalty amount to the Central Government and the State Government.

Form 1

(See rule 3)

Report by Village Officer regarding Outbreak of, or Animal Infective of, Scheduled Disease.

1. Suspected disease location:

(a) nameand contact number of owner:

(b) village or ward or farm:

(c) Block:

(d) District:

(e) State:

2. Detail of suspected disease:

(a) date and time of receipt of information:

(b) date and time of occurrence:

(c) affected animal species:

(cattle or buffalo or sheep or goat or others)

(d) description of symptoms:

(e) number of animal affected:

(f) number of animal died:

(g) any other information:

Signature

Name and address of Village Officer:

Contact number:
Date

Form 2

(See rule 3)

Part-I

Report of Sampling regarding Outbreak of, or Animal Infective of, Scheduled Disease.

1. Suspected disease location:

(a)nameand contact number of owner:

(b)village or ward or farm:

(c) District:

(d) Block or Tehsil

(e)State:

2. Detail of suspected disease and information of affected animals:

(a) date and time of information:

(b) suspected disease:

(c) date of occurrence :

(d) total animals affected:

Sr.No.	Category	Number Of Animals	Tag Number	Species Of Animal
1.	animals affected		i) ii) iii)	
2.	animals treated		i) ii) iii)	
3.	animals vaccinated		i) ii) iii)	
4.	animals died		i) ii) iii)	
5.	animals culled		i) ii) iii)	
6.	animals recovered		i) ii) iii)	
7.	animals slaughtered		i) ii) iii)	

3. Control and other measures initiated:

(a) status of vaccination: conducted or on-going

(b)type of vaccination: barrier or blanket or ring or targeted

(c) details of animals vaccinated (species wise):

Sr. No.	Species Of Animals	Tag/Identification Number	Unique Number Of Vaccine Certificate	Date Of Vaccination

(d) number and detail of check posts established:

Sr.No.	Date From Which Active	Address Of Check Post	In-Charge Officer	Contact Number/Email Id	Latitude And Longitude

(e) whether sick animals segregated: Yes or No

(f) detail of disinfection and disposal measures carried out:

(g) co-ordination with human health authorities

(in cases of suspected zoonosis): Yes or No

(h) co-ordination with wild life authorities

(in case of suspected wild life involvement):Yes or No

4. Sampling:

(a) whether sampling required: Yes or No

(b) whether sample collected: Yes or No

(c) details of sample collection:

Sr.No.	Species of Animal:	Tag Number of Animal	Sample Identification Number:	Type Of Sample Collected: (Blood Or Serum Or Urine Or Other)	Name Of Veterinarian Collecting Sample	Date Of Dispatch:	Name And Address Of Testing Laboratory

5. Other activities or measures taken:

(i) awareness and training of stakeholders:

(ii) animal owners or farmers sensitization:

(iii) any additional observation or measure:

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:
Date:

Part-II

Report of Outbreak of, or Animal Infective of, Scheduled Disease.

1. Status of scheduled disease:

(a) disease suspected while collecting sample:

(b) disease confirmed by laboratory:

(c) date of confirmation by laboratory:

(d) name and address oftestinglaboratory:

(e) report number and date:

2. Control and other measures initiated:

(a) status of vaccination: conducted or on-going

(b) type of vaccination: barrier or blanket or ring or targeted

(c) details of animals vaccinated (species wise):

Sr No	Species Of Animals	Tag/Identification Number	Unique Number Of Vaccine Certificate	Date Of Vaccination

(d) number and detail of check posts established:

Sr.No.	Date From Which Active	Address Of Check Post	In-Charge Officer	Contact Number/Email Id	Latitude And Longitude

(e) whether sick animals segregated: Yes or No

(f) detail of disinfection and disposal measures carried out:

(g) co-ordination with human health authorities

(in cases of suspected zoonosis): Yes or No

(h) co-ordination with wild life authorities

(in case of suspected wild life involvement): Yes or No

5. Information regarding notification:

(a) date of notification regarding declaration of infected, controlled and free area: (copiesof Official Gazette attached)

(b) date of information to State Government and the Central Government:

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:
Date:

Form 3

(See rule 4)

Animal Vaccination Report.

1. Identification of animal:

(a) tag number:

(b) species:

(c) age:

(d) sex:

(e) name ofowner of animal:

(f) aadhar number:

(g) contact number:

(h) photograph of animal:

2.Detail of vaccination:

(a) name of vaccine:

(b) type of vaccine (live, inactivated, adjuvant):

(c) expiry date:

(d)batch number:

(e) name of manufacturer:

(f) date of vaccination:

(g) adverse effect, if any

(h) name, address and contact number of vaccinator:

Signature

Name,address and contact number of Director:
Office seal:
Date:

Form 4

(See rule 5)

Vaccination Certificate about Animals other than Poultry

1. Unique vaccination certificate number:

Valid from……..to ……:

2. Description of the animal

(a) species:

(b) sex:male or female

(c) identification details:

(ear-tag number or tattoo or other form of marking)

(d) name, address and contact number ofowner:

3. Detail of vaccination:

(a) name of vaccine:

(b) type of vaccine (live, inactivated, adjuvant type):

(c) expiry date :

(d) batch number:

(e) date of vaccination:

(f) name of the manufacturer:

(g) name, address and contact number of vaccinator:

(h) place of issue of certificate:

(i) date of issue of certificate:

This is to certify that animals described above have vaccinated against ……(name of disease) on ……..(date of vaccination) by using vaccine the detail of which is mentioned above.

The vaccination administered was not defective and I have the authority to administer vaccination and issue a certificate for the same.

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:

Date:

Form 5

(See rule 5)

Vaccination Certificate for Poultry.

1. Unique vaccination certificate number:

Valid from ……to…….:

2. Description of poultry:

(a) poultry species:

(chicken,duck,quail,other)

(b) poultry type or age:

(day old chicks, layers, broilers, breeder)

(c) number of birds vaccinated:

(number immunized)

(d) marking or identification of vaccination:

(painting, wing tag, band)

(e) name, address and contact number of owner:

(f) commercial poultry establishment: Yes or No

(g)backyard poultry: Yes or No

3. Details of vaccination:

(a) name of vaccine:

(b) type of vaccine:

(live, inactivated, adjuvant):

(c) expiry date:

(d)batch number and date of production:

(e) name ofmanufacture:

(f) date of administration vaccine:

(g) adverse effect, if any:

(h) name, address and contact number of vaccinator:

(i) place of issue of certificate:

(j) date of issue of certificate:

Vaccination certificate issue details

This is to certify that animals describedabove have vaccinated against …… (name of disease) on ……..(date of vaccination) by using vaccine detail of which is mentioned above.

The vaccination administered was not defective and I have the authority to administer vaccination and issue a certificate for the same.

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:

Date:

Form 6

(See rule 7)

Part-I

Post-Mortem Examination Report for Animals other than Poultry

1. Particulars of post-mortem:

(a) report number:

(b)location of conducting post-mortem:

(c) date of post-mortem:

(d) time of post-mortem:

2. Reference by:

3. Date of reference:

4. detail of animal:

(a) species:

(b)breed:

(c) sex:

(d)age :

(e) identification number or mark:

(f)colour:

(g) history of illness and treatment:

(h) date of death:

(i) time of death:

(j) any other information:

5.Name, address and contact number of owner of animal:

6. External examination:

(a)rigor mortis:

(b)external orifices:

(c) condition of the carcass:

(d) udder:

(e) hair coat:

(f)visible mucous membranes:

(g) wound or tumor (location and dimension):

(h) bones and joints:

(i) any other observation:

7. Internal examination

Thoracic cavity:

(a) ribs:

(b) cartilage:

(c) pleura:

(d) diaphragm:

(e) larynx:

(f) trachea:

(g) bronchi:

(h) lungs:

(i) lymph nodes:

(j) pericardium:

(k) endocardium:

(l) myocardium:

(m) aorta:

(n) auricles:

(o) ventricle:

(p) oesophagus:

(q) other observations:

8. Abdominal cavity:

(a) peritoneum:

(b) fluid (colour, quantity and consistency):

(c) lymph nodes:

(d) rumen or stomach:

(e) reticulum:

(f) omasum:

(g) abomasum:

(h) small intestine:

(i) large intestine:

(j) mesentery:

(k) portal veins:

(l) liver:

(m) gall bladder:

(n) pancreas:

(o) kidney and adrenals:

(p) ureters:

(q) urinary bladder:

(r) spleen:

(s) other observations:

9. Pelvic cavity:

(a)testicle:

(b) epididymis:

(c) spermatic cord:

(d) scrotum:

(e) prostate:

(f) penis:

(g) vulva:

(h) cervix:

(i) vagina:

(j) uterus:

(k) ovary:

(l) other observations:

10. Head and neck:

(a) scalp:

(b) skull bones:

(c) meninges:

(d) brain:

(e) spinal cord:

(f) cervical vertebra:

(g) thyroids or parathyroids:

(h) other observations:

11. Specimen collection detail:

(a) specimen type:

(b) preservatives used:

(c)tests required:

(d) address of laboratory where sample submitted:

12. Special observation or abnormally:

13. Opinion about probable cause of death:

14. Post-mortem report issue detail:

15.Place of issue of report:

16. Date of issue of report:

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:

Date:

Part-II

Post-Mortem Examination Report for Poultry.

1. Particulars of post-mortem:

(a) reportnumber:

(b) location of conducting post-mortem:

(c) date of death:

(d) time of death:

(e) date of post mortem:

(f) time of post mortem:

2. Referred by:

3. Date of reference:

4. Detail of poultry:

(a) species:

(b) breed:

(c) sex:

(d) age:

(e) identification mark or number:

(f) number of flock:

(g) number died:

(h) number of dead birds on which post mortem was conducted:

(i) history of illness and treatment:

5. Name, address and contact number of owner:

6. Nutritional details:

7. Post-mortem detail:

(a) external appearance:

(b) subcutaneous tissue and musculature:

(c) general observations after opening carcass:

(d) respiratory system:

(e) cardiovascular system:

(f) digestive system:

(g) urinary system:

(h) genital system:

(i) immune system:

(j) nervous system:

(k) any other observation:

8. Opinion about probable cause of death:

9. Specimen collection detail:

(a) specimen type:

(b) tests required:

(c) address of laboratory where sample submitted:

10. Post-mortem report issue detail:

11. Post-mortem report reference number:

12. Place of issue of report:

13. Date of issue of report:

Signature

Name, address and contact number of Veterinarian:
Designation and seal:

Date:

Form-7

(*See rule 8*)

Complaint for Contravention of Provisions of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009

To

The Adjudicating Officer,

(Sub-Divisional Magistrate or Executive Magistrate)

……..

1. Particulars of complainant:

(a) name:

(b) father's or mother's name:

(c) address including postal index number:

(d) contact number:

(e) email address:

2. Particulars of alleged contravener:

(a) name:

(b) father's or mother's name:

(c) address including postal index number:

(d) date, time, place and nature of alleged contravention:

(e) section or provision of the Act alleged to have been contravened:

(f) statement of contravention setting out material particulars:

(g) evidence in support of the statement including physical record or electronic record:

I ……..... (complainant) hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my knowledge, information and belief and that nothing material has been concealed or misrepresented.

Signature of complainant

(Name of complainant)

Form-8

[See sub- rule (1) of rule 9]

Show Cause Notice by Adjudicating Officer

Subject: Show cause notice for contravention of provisions of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009

Sir/Madam,

As per the complaint dated……., received from complainant _____ (copy enclosed), contravention has been alleged to be made under section of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009.

2. The above contravention is liable for penalty under the said.

3. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, as to why an inquiry should not be conducted against you.

4. In case no reply is received within the specified period, the further action will be taken accordingly in accordance with the provision of the Act.

Adjudicating Officer

(Name and Seal of office)

Form –9

(See sub-rule (1) of rule 11)

Appeal under the provisions of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009.

To

The Appellate Authority,

(District Magistrate/Additional District Magistrate)

……

……

1. Particulars of appellant:

(a) name:

(b) father's or mother's name:

(c) address including postal index number:

(d) contact number:

(e) email address:

2. Provisions of the Act regarding which the order is made

by the adjudicating officer:

3.Statement of Contravention on which

the adjudicating officer made the order:

4. Grounds of appeal:

5. Details of Respondent:

(a) name:

(b) father's or mother's name:

(c) address including postal index number:

(d) contact number:

(e) email address:

6. Statement of respondent:

7. Date of order of the adjudicating officer:

8. Relief claimed:

9. Whether appeal is filed within the time

referred in section 27B of the Act- YES or NO

I…, the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my knowledge, information and belief and nothing material has been concealed or misrepresented.

List of enclosures:

(i) Copy of the order against which the appeal ispreferred.

(ii) Copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal.

Signature of appellant with date:

Name of appellant:

Form-10

[*See sub- rule (8) of rule 11*]

Notice regarding Appealmade under the Provisions of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009.

Subject: Notice regarding appeal preferred against the order passed under the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act.

Sir/Madam,

1. Whereas an appeal dated _____ (copy enclosed) has been preferred by Shri/Smt./M/s. _____ against the order dated _____ passed by the adjudicating officer under section _____ of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act,2009 (copy enclosed).
2. You are hereby informed that the said appeal has been preferred against you for consideration in accordance with the provisions of said Act.
3. You are required to submit your reply or statement of objections, together with all supporting documents, if any, within thirtydays from the date of service of this notice, failing which the appeal will be considered and decided in accordance with the provisions of aforesaid Act on the basis of material available on record.

Signature of appellate authority
(Name and Seal of Office)

[/F. No. K-11/05/3/49/2025-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.08.17 16:29:56 +05'30'